न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

ब: इजलास– पवन कुमार, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या–04/2019

(44)

हरजिन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति कम्बो सिख निवासी 71 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

— वादीया

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

— प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं
धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

::निर्णय:: दिनांक:–15.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया हरजिन्द्र कौर ने न्यायालय में वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया कि वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 71 जीबी. का पत्थर नं. 263/428, मुरब्बा नं.– 3 के किला नं. 1 ता 12, 13/1 कुल 3.163 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि वादीया व अन्य के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादीया का 1/10 हिस्सा रकबा है। वादाधीन कृषि भूमि में वादीया अपने हिस्सा की कृषि भूमि काबिज काश्त चला आ रही है तथा वादीया का अधिकार, अधिपत्य, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादीया को पीहर परिवार में रामकौर के नाम से जाना व पुकारा जाता है लेकिन वादीया का सही व वास्तविक नाम हरजिन्द्र कौर है तथा वादीया के सभी दस्तावेजों जाति पहचान–पत्र, आधार कार्ड, वोटर पहचान–पत्र, राशन कार्ड में वादीया का नाम हरजिन्द्र कौर दर्ज है। सरपंच ग्राम पचांयत 72 जी.बी. ने प्रमाण–पत्र में वादीया का वास्तविक नाम हरजिन्द्र कौर एवं पीहर व गांव में घरेलू नाम रामकौर होने की तस्दीक है। हरजिन्द्र कौर उर्फ रामकौर वादीया के नाम है। वादाधीन कृषि भूमि वादीया को पिता के देहान्त के उपरांत विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए पिता श्री करतार सिंह का देहान्त होने पर वारिस प्रमाण–पत्र व विरास्तन इन्तकाल में सहबन से वादीया के पीहर पक्ष ने वादीया के पीहर का घरेलू व पारिवारिक नाम रामकौर दर्ज करवा दिया है जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया ने अब उक्त वादाधीन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के पीहर परिवार का घरेलू/पारिवारिक नाम राम कौर दर्ज है। वादीयाा ग्रामीण औरतजात है जिसे इस नाम संबंधी [illegible] नहीं था। जिस पर वादीया ने अर्सा सात रोज पूर्व को प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर नाम दुरूस्त कर वा[illegible] दस्तावेजी व सही नाम हरजिन्द्र कौर अंकित करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय से नाम दुरूस्त का आदेश लाने का कहा। बस यही वाद कारण वादीया को प्राप्त है। वादाधीन कृषि भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड राम कौर एवं वादीया के सभी दस्तावेजात जाति प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, भामाशाह कार्ड में नाम हरजिन्द्र कौर दर्ज होने कारण वादीया को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीया अपनी कृषि भूमि का समुचित व पूर्ण उपयोग, उपभोग, रहन, बैय, अन्तरण, वसीयत, टीनेन्सी अधिकारों का उपयोग, उपभोग आदि नहीं कर पा रही है और ना ही वादीया को उक्त कृषि भूमि सरकारी या सहकारी सहायता, ऋण, सब्सिडी, खाद, बीज आदि प्राप्त नहीं हो रहा है। वादीया अपने नाम व वास्तविक नाम हरजिन्द्र कौर वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जरिये दुरूस्ती अंकित करवाने की मुश्तहक है ताकि वादीया उक्त कृषि का पूर्णः उपयोग, उपभोग कर सके तथा सरकारी सहायता, ऋण आदि प्राप्त कर सके। इसलिए वाद पेश है। वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम रामकौर के बजाय हरजिन्द्र कौर अथवा विकल्प में वादीया का नाम हरजिन्द्र कौर उर्फ रामकौर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण के संबध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय फर्द मौका के रिपोर्ट पेश की। फर्द मौका में पटवारी हल्का द्वारा गांव में जाकर जांच की जाकर रिपोर्ट दी गई कि चक 71 जीबी के मुरब्बा नं.–3 पत्थर सं.–263/428 की 3.163 हैक्टर रकबा रामकौर पत्नी करतारसिंह जाति कम्बोजसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया हरजिन्द्र कौर का नाम कही भी शपथ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में रामकौर ही दर्ज है।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया वादीया संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 71 जीबी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं. –263/428 मुरब्बा नम्बर 3 के किला नं.–1ता12,13/1 के कुल 3.163 हैक्टर रकबा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्ती करवाकर वादीया के पीहर के घरेलू नाम राजकौर के बजाय वास्तविक नाम हरजिन्द्र कौर दर्ज करवाने की घोषणा विकल्प में वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हरजिन्द्र कौर उर्फ राम कौर दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है?

––वादी

अनुतोष–

वादी ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी स्वयं एवं पड़ौसी के शपथ पत्र पेश किये। पेरोकार राज द्वारा जिरह की गई। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 सरपंच का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–3 जाति प्रमाण पत्र,प्रदर्श–4 मूल भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–4ए भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति, प्रदर्श–5 आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श–6 मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श–7राशन कार्ड, प्रदर्श–8 पैन कार्ड ,प्रदर्श–9 मूल निवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(46)

प्रमाण पत्र, प्रदर्श–10 पटवारी रिपोर्ट, प्रदर्श–11 फर्द मौका पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादीया अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादीया का नाम रामकौर न होकर हरजिन्द्र कौर है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 71 जीबी. का पत्थर नं. 263/428, मुरब्बा नं.– 3 के किला नं. 1 ता 12, 13/1 कुल 3.163 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि वादीया का नाम रामकौर के स्थान पर हरजिन्द्र कौर उर्फ रामकौर का अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner